रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 183] नई दिल्ली, बुधवार, मई 26, 1976/ज्येष्ठ 5, 1898

No. 183] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 26, 1976/JYAISTHA 5, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May 1976

G.S.R. 353(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby directs that the power to issue passports to persons who are not citizens of India under section 20 of the said Act, may in respect of persons of Indian origin residing in the Union of Burma and holding Foreigners Registration Certificates issued by the Government of the Union of Burma, be exercised by the Embassy of India, Rangoon, subject to the condition that passports in such cases may be granted by the said Embassy for a period of six months at a time and endorsed for Burma only.

[No. V1/401/40/74]

M. A. VELLODI, Secy.

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 1976

सा० का० नि० 353 (अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 21 का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इसके द्वारा निदेश देती है कि भारत का राजदूतावास, रंगून को उक्त अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत उन व्यक्तियों को, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, पासपोर्ट जारी करने का जो अधिकार प्राप्त है, उसका प्रयोग वह बर्मा संघ में रहने वाले ऐसे भारत-मूलक लोगों के संदर्भ में भी कर सकता है जिनके पास बर्मा संघ द्वारा जारी किए गए विदेशी व्यक्ति पंजीकरण प्रमाण-पत्र हों, लेकिन इस शर्त के साथ कि इस तरह के मामलों में उक्त राजदूतावास द्वारा एक बार में सिर्फ छह महीने की अवधि के लिए पासपोर्ट दिए जायेंगे जो केवल बर्मा के लिए ही पृष्ठांकित होंगे ।

[सं० वी० एक/401/40/74]

एम० ए० वेल्लोडि, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI 1976